

समस्या आर्कीटेक्ट प्राइवेट

1. आज हमारे भारत में । आर्कीटेक्ट बनना । बुद्धिमत्ता की निशानी है । जो कठिन पढ़ाई के बाद । आर्कीटेक्ट बनने का । सपना पूरा होता है ।
2. आज हमारे देश में । हर विषय की पढ़ाई होती है । लेकिन सदाचार के विषय की । पढ़ाई नहीं होती है ।
3. यदि थोड़ी बहुत होती भी है । तो पढ़े लिखे समझदार लोग । सदाचार के उपयोग को । जीवन में अमल में नहीं लाते ।
4. क्योंकि । अधिक से अधिक धन कमाने के लिए । सदाचार नियमों को ताक पर रख कर ही । अधिक से अधिक धन कमाया जा सकता है ।

आर्कीटेक्ट प्राइवेट कार्ड की विशेषताएँ

1. पी कार्ड धारक छात्र को आर्कीटेक्ट पास करके । आर्कीटेक्ट करने के लिए । ए के कार्ड यानी आर्कीटेक्ट कार्ड मिलेगा ।
2. प्राइवेट आर्कीटेक्ट को । सरकारी आर्कीटेक्ट नौकरी मिलने पर । ए के कार्ड भारत सरकार में । जमा करना होगा ।
3. प्राइवेट आर्कीटेक्ट के ए के कार्ड में । आर्कीटेक्ट के शिक्षा का । पूरा ब्योरा अंकित होगा ।
4. प्राइवेट आर्कीटेक्ट को । ए के कार्ड में अंकित । आर्कीटेक्ट को किसी भी प्रोजेक्ट को । पूरा करने की जिम्मेदारी मिलेगी ।
5. प्राइवेट आर्कीटेक्ट को । ए के कार्ड में अंकित । आर्कीटेक्ट को किसी भी प्रोजेक्ट को पूरा करने का । वेतन य मेहनताना मिलेगा । किसी भी आर्कीटेक्ट प्रोजेक्ट को । ए के कार्ड में अंकित ही पूरा करना होगा ।
6. प्राइवेट आर्कीटेक्ट के । ए के कार्ड में । किसी भी और व्यापार का व्योरा । अंकित नहीं होगा । सिर्फ आर्कीटेक्ट प्रोजेक्ट का व्योरा ही । अंकित होगा ।
7. और जो भी नियम लेखक को न मालूम हो । और जरूरी नियम हो । भारत सरकार की तरफ से ए के कार्ड में डाले जा सकते हैं । क्योंकि लेखक आर्कीटेक्ट नहीं है ।

निर्दोश नागरिक

1. लेखक विश्व के । य भारत के । किसी भी नागरिक को । दोषी नहीं मानता है ।
2. चाहे । सत्ताधारी नेता । विपक्ष नेता । सहयोगी नेता । य छोटे बड़े नेताओं । उच्च न्ययाधीश । से चपरासी तक । जल । थल । वायु । तीनों सेना । तीनों सेनाओं के अध्यक्ष रास्ट्रपती । से कांसटेबल तक । सत्ता रूढ़ पार्टी के । पी एम से लेकर । नगर सेवक । प्रधान तक । छोटे । य

3. बड़े व्यापारी तक । हर सरकारी । य प्राइवेट कर्मचारी को । सरकारी य प्राइवेट डाक्टर । सरकारी य प्राइवेट वकील । सरकारी य प्राइवेट इन्जीनियर । सरकारी य प्राइवेट आर्कीटेक्ट । चार्टर्ड एकाउन्टेड सी ए । छोटे किसान से लेकर । बड़े किसान तक । भिखारी । से लेकर पूंजीपती तक । य अन्य किसी भी नागरिक को । किसी को भी दोशी नहीं मानता है ।
4. हर नागरिक । देश भक्त है । सभी नागरिक । टैक्स देकर । देश को चलाने में मदद करते हैं ।
5. दोष सिर्फ । धन की । स्वेच्छिक आजादी का है । सिस्टम खराब है । सिस्टम में दोष है ।
6. सिस्टम दोशी होने के कारण । विश्व का हर नागरिक । न चाहते हुए भी । मजबूरी में । खराब सिस्टम में फँसता है । और पिसता है । और गलत बन जाता है ।
7. लेखक । भारत सरकार को भी । दोशी नहीं मानता है । भारत सरकार भी । बिगड़े हुए सिस्टम का एक हिस्सा है । इसीलिए । भारत सरकार का भी । कहीं कोई । दोष नहीं है ।
8. आज विश्व में । हमारी मेहनत की कमाई । जिसके भी हाँथ में । चली जाये । वही व्यक्ति । उस धन का । मालिक बन जाता है ।
9. जीसियो नियम से । हमारे मेहनत की कमाई । हमारे अलावा । विश्व का । कोई भी व्यक्ति उपयोग । नहीं कर सकता ।
10. आज धन । जिसके हाँथ में होता है । वही उस धन का । मालिक होता है ।
11. इसीलिए लेखक । विश्व के । किसी भी नागरिक को । दोशी नहीं मानता है । सिर्फ । सिस्टम को दोशी मानता है ।
12. यदि । किसी समूह के बारे में । य भारत सरकार के बारे में । लिखा गया है । तो सिर्फ । समस्या को । उजागर करने के उद्देश्य से । लिखा गया है ।
13. किसी को भी । दोशी बनाने के उद्देश्य से । नहीं लिखा गया है ।
14. फिर भी यदि । किसी भी समूह को । य भारत सरकार को । बुरा लगे तो । लेखक को माफ करना ।
15. क्योंकि समस्याओं को । उजागर करना जरूरी है ।
16. जीसियो नियम द्वारा । सिस्टम को सही करने से । विश्व का । प्रत्येक नागरिक सही रहेगा । और । राहत की साँस लेगा ।
17. लेखक । भारत सरकार को भी । दोशी नहीं ठहराता । क्योंकि सिस्टम खराब है ।
18. लेखक का । भारत सरकार से अनुरोध है । कि सिस्टम को सही करके । विश्व अग्रणी होने की तरफ । पहला कदम उठाये ।

भारत का धन

1. भारत का धन । किसी भी । कार्ड से । लेन देन । भारत की सीमा के अंदर । भारतीय नागरिक से । भारत के किसी भी कार्ड से ही । लेन देन किया जा सकता है ।

भारत की सभी समस्याओं का अन्त
सिस्टम चेन्ज
आर्कीटेक्ट प्राइवेट

2. भारत का धन को । भारत के बाहर । विदेश के । किसी भी कार्ड से । लेन देन नहीं । किया जा सकता है ।
3. भारत का धन । किसी भी । कार्ड से । धन । भारत के सीमा के बाहर । नहीं भेजा जा सकता ।
4. भारत का धन । किसी भी । कार्ड से । धन । भारत के सीमा के बाहर । विदेश के । किसी भी बैंक में । नहीं जमा । किया जा सकता ।
5. भारत का धन । भारत की सीमा के बाहर । धन भेजने के लिए । किसी भी । कार्ड अंकित वैध धन को । भारत के विदेश मंत्रालय में जमा करके । उस देश में । चलित नोट रूपया ही । भेजे जा सकते हैं ।

विदेश का धन

1. विदेश का धन । भारत की सीमा के । बाहर का धन । भारत लाने के लिए । धन को । भारत के विदेश मंत्रालय में । जमा करके । धन को किसी भी । कार्ड में । अंकित कराना होगा ।
2. विदेश का धन । भारत के सीमा के बाहर के । किसी भी बैंक का धन । सीधे सीधे । भारत के किसी भी कार्ड में । अंकित । जमा नहीं होगा ।
3. विदेश का धन । भारत के सीमा के बाहर के । विदेश के । किसी भी बैंक से । धन । भारत लाने के लिए । धन को । भारत के विदेश मंत्रालय में जमा करके । धन को । किसी भी । कार्ड में अंकित । जमा कराना होगा ।

ए के कार्ड धारक को बी कार्ड से दुकान

1. बी कार्ड धारक भारत के प्रत्येक । सरकारी नौकरी रहित । और खेती जमीन रहित । जरूरत मंद नागरिक को । सरकारी मदद 300 स्क्वायर फिट य इससे कम की की 1 दुकान मिलेगी । जिस पर बी कार्ड धारक का । आजीवन अधिकार होगा ।
2. सरकारी मदद भूमि । 300 स्क्वायर फिट य इससे कम की दुकान का । बी कार्ड धारक नागरिक को । कोई भाडा । कोई किराया । य कोई कीमत नहीं देना होगा । भारत सरकार को ।
3. बी कार्ड धारक भारतीय नागरिक । उस दुकान पर कोई भी । व्यापार करके । अपनी जीविका चला सकता है ।
4. बी कार्ड धारक भारतीय नागरिक को । सरकारी मदद भूमि । 300 स्क्वायर फिट य इससे कम की । 1 ही दुकान मिलेगी ।

ए के कार्ड धारक को बी कार्ड से अधिक जमीन

1. बी कार्ड धारक भारतीय नागरिक को । अधिक जमीन उपयोग करने के लिए । भारत सरकार नगर पालिका से । सरकारी मदद अधिक जमीन मिलेगी । उस अधिक जमीन का । बी कार्ड धारक भारतीय नागरिक को । 1 रु स्क्वायर फिट के हिसाब से हर महीने । बी कार्ड से । अधिक जमीन का किराया ।

2. भारत सरकार नगर पालिका के एन कार्ड में जमा करना होगा ।

अधिक जमीन का निर्माण कार्य व खर्चा

1. अधिक जमीन को बी कार्ड धारक आजीवन के लिए ले सकता है । 1 रु स्क्वायर फिट के हिसाब से हर महीने । बी कार्ड से अधिक जमीन का किराया देकर ।
2. अधिक जमीन का निर्माण कार्य व मरम्मत खर्चा बी कार्ड धारक स्वयं करवायेगा ।
3. भारत सरकार का अधिक जमीन के निर्माण कार्य व मरम्मत खर्चा में कोई योगदान नहीं होगा ।

ए के कार्ड रहित सरकारी नौकरी

1. ए के कार्ड धारक भारतीय नागरिक । यदि सरकारी नौकरी करना चाहता है । तो उसे ए के कार्ड की सारी सम्पत्ती को पी कार्ड में जमा कराना होगा । तथा ए के कार्ड भारत सरकार में जमा करना होगा ।
2. तब उसे पी कार्ड अंकित सरकारी नौकरी मिलेगी ।

ए के कार्ड धारक आर्कीटेक्ट को बैंक का कर्जा

1. ए के कार्ड धारक आर्कीटेक्ट को यदि धन की आवश्यकता है । तो बैंक नियमानुसार । बैंक 24 घंटे धन ले सकता है । इंजीनियर धन ब्याज के साथ । बैंक का कर्जा बैंक के एकाउन्ट में । ए के कार्ड द्वारा वापस करेगा । इंजिनियर सिर्फ बैंक से ही धन ले सकता है । किसी भी व्यक्ति से धन नहीं ले सकता ।
2. ए के कार्ड आने से नगद धन हाथ से हाथ धन देने की सुविधा बन्द हो जाएगी ।

ए के कार्ड धारक की सेवा निवृत्ती

1. ए के कार्ड धारक किसी भी आर्कीटेक्ट की । 60 वर्ष उपरान्त सेवा निवृत्ती होगी ।

ए के कार्ड धारक का प्रथम बैंक कर्जा

2. ए के कार्ड धारक किसी भी आर्कीटेक्ट का । यदि बैंक का कर्जा बाकी है । तो प्रथम बैंक का कर्जा । ब्याज के साथ वापस किया जायेगा ।

जीसियो नियम से । प्राइवेट ए के कार्ड धारक आर्कीटेक्ट के सामने । यदि रिस्वत के रूप में । भारत की पूरी सम्पत्ती रख दी जाये । किसी घटिया प्रोजेक्ट को पास करने के लिए ।

तो भी प्राइवेट ए के कार्ड धारक आर्कीटेक्ट । रिस्वत लेकर घटिया प्रोजेक्ट को पास नहीं कर सकता ।

जय विश्व अग्रणी भारत की